फर्द अहकाम

अज अदालत–**न्यायालय जिला कलक्टर–मुकाम–भरतपुर**

लक्ष्मीनारायन   बनाम   विकास अधिकारी, वैर

किस्म मुकदमा अपील आर. टी. आई   नम्बर .... सन्

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनियशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुये
25.11.2019	सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 के तहत अपीलान्ट लक्ष्मीनारायण पुत्र श्री धर्म सिंह आयु 58 साल जाति जाट निवासी नया गांव खालसा, ग्राम पंचायत सैंधली तहसील भुसावर , जिला भरतपुर की अपील विकास अधिकारी, पंचायत समिति वैर के खिलाफ प्राप्त हुई है। अपील दर्ज रजिस्टर हो। अपील का अवलोकन किया गया। अपीलार्थी यह अपील विकास अधिकारी, पंचायत समिति वैर के खिलाफ पेश की गई है। आर.टी.आई एक्ट के तहत विकास अधिकारी, पंचायत समिति वैर के खिलाफ अपील सुनवाई का क्षेत्राधिकार इस कार्यालय को नहीं है। अतः प्राप्त मूल अपील प्रार्थी को वापिस लोटाकर सूचित किया जावे कि वे नियमानुसार अपील प्रधान, पंचायत समिति वैर के यहां प्रस्तुत करें। पत्रावली फैसल शुमार हो। बाद कार्यवाही दाखिल दफ्तर हो।	